संख्या:7677/नौ-5-13-18बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष-2013-14 में जनपद फैजाबाद की अयोध्या नगर सीवरेज परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नागर), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-197/नागर-2/033-0304/12, दिनांक-27.12.2013, पत्र संख्या-301/नागर-2/033-0304/13, दिनांक-02.09.2013 एवं पत्र संख्या-361/नागर-2/033-0304/13, दिनांक-13.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद की अयोध्या नगर सीवरेज परियोजना हेतु वित्त व्यय समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू.6256.55 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू.500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/ डिपाजिट खाता/पीएलए में नहीं रखी जायेगा।
2. प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से निर्माण कार्य से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना में प्रस्तावित प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. परियोजनान्तर्गत उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राईंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टयॉ इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री एवं उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक भेजा जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- *उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।*

4- यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-921/दस-2014, दिनांकः 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**उमाशंकर सिंह**)
उप सचिव।

संख्या-7677(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/फैजाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
6. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8. मुख्य अभियन्ता(फैजा0क्षे0), उ.प्र. जल निगम, फैजाबाद।
9. परियोजना निदेशक, नागर कार्य इकाई, उ.प्र. जल निगम, फैजाबाद।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या जनपद फैजाबाद।
11. नियोजन अनुभाग-3/4
12. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(**उमाशंकर सिंह**)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-20/02/2014

प्रेषण संख्या:- 7677
आवंटन आदेश संख्या:- 001-7677-9-5-13-18budget-2013
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 207551000	50000000 207551000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 207551000	50000000 207551000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यावन हजार

उप सचिव
उमा शंकर सिंह